केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00119

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00352

अपीलकर्ता श्रीमती स्वाति निगम

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.08.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.08.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.09.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस. चिकारा, CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.10.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	24.10.2024
निर्णय की तारीख	20.11.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.08.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

1. मेरे द्वारा किये गए आवेदक पत्र दिनांक 26.11.2022 पत्रांक - Swt OA/A-22/C1A/22-23 पर रोजाना की जाने वाली उन्नति का ब्यौरा उपलब्ध मुहैया कराया जाये।
2. कृपया उन अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा मोबाइल नं भी बताने का कष्ट करें। जिनके पास मेरा आवेदक पत्र दिनांक 26.11.2022 इस दौरान पड़ा रहा। कृपया यह भी बताये कि वह किस वक़्त में किस अधिकारी के पास रहा है उस वक्त में उस अधिकारी द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?
3. कृपया कार्यालय में उन अधिकारियों के पास मेरा आवेदन पत्र जाने और आने विषयक प्राप्ति का प्रमाण भी प्रदान करें।

4. कृपया मुझे उन कर्मचारियों के नाम व पदनाम भी बताये जिनके मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की अपेक्षा थी। और जिन्होंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया।

5. उन कर्मियों के खिलाफ अपना कार्य न करने और सामान्य जन को असुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही होगी? यह कार्यवाही कब तक की जाएगी, मुझे बताया जाये।

6. मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2022, पत्रांक - Swt OA/A-22/C1A/22-23 पर अधिकतम किस समय सीमा में कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। और माँगे गए अभिलेखों /प्रपत्रों को उपलब्ध न करा पाने का क्या कारण रहा?

7. केंद्रीय सूचना आयोग में आवेदिका द्वारा की गई द्वितीय अपील दिनांक 26.11.2022, अपील संख्या CIC/SBIND/A/2020/112559 पर सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रतिवादी - केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ, एस.एम्. ई. ब्रांच अशोक नगर, कानपुर - 208012 को दौरान सुनवाई प्रेषित सभी आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराये।

8. केंद्रीय सूचना आयोग में आवेदिका द्वारा की गई द्वितीय अपील दिनांक 18.03.2020 अपील सं उपर्युक्त पर प्रतिवादी - केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस एम् ई ब्रांच, अशोक नगर, कानपुर के द्वारा अंतिम सुनवाई तथा निर्णय होने तक एवं निर्णय के बाद जारी आदेश तक आयोग में दाखिल किये गए सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

2. प्रदान की गई सूचना

कर्नल एस.एस. चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 19.09.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Point no. 1 to 6: - The Commission has already considered your application dated 26.11.2022 and sent communication letter to the concerned respondent for necessary action. (Copy attached).

Point no. 7 – You may download the copy of decision through https://dsscic.nic.in/cause-list-report-web/view-decision/1

3. प्रथम अपील का आधार

"मुझे आवेदिका द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) व 6 (3) व धारा 6 अन्य प्रवर्गों के अधीन किये गए आवेदन दिनांक 12.08.2024, पत्रांक 01/ Swt OA/A-22/C1A/22-23 पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग बाबा, गंगनाथ मार्ग, नई दिल्ली - 67 के द्वारा जरिये पत्र दिनांक 19.09.2024 के द्वारा प्राप्त कराई गई सूचनाएं चाही गई सूचना के क्रम में नहीं दी गई है। साथ ही आवेदिका के द्वारा किये गए आवेदन के प्रस्तर 01 -06 तक के क्रम में चाहे गए ब्योरों के अनुरूप भी नहीं है। जिससे दी गई सूचना पूर्ण प्रदान सूचना के दायरे में नहीं आती है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00352 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.11.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

20/11/24

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 NOV 2024
D. No............
Initials............